N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0183 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/07/2025 17:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	11
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/07/2025 17:50:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1 (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 350 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KACHOTIYA THANA SUHAGPURA, JILA PRATAPGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJMAL MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): LALU JI MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1981 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KACHOTIYA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KACHOTIYA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR		पिता:RANGJI NINAMA	1. RAMOR POST SURPUR,BANSWARA,RAJAST
2	DEEPAK DAMAMI		पिता:NANOORAM DHOLI	1. MOTA MAYNGA,SUHAGPURA,PRATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	मिक्के और मुद्रा	रुपये	5 लाख, 5 लाख एवं 4 लाख रूपये कुल 14 लाख	14,00,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रूपये	14,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 14,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि परिवादी श्री राजमल पिता लालूजी जाति मीणा निवासी कचोटिया जिला प्रतापगढ ने दिनांक 11-12-2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी प्रतापगढ पर उपस्थित हो मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी भाभी श्रीमती कैलाशी देवी ग्राम पंचायत कचोटिया की सरपंच हैं। मैं उनकी कार्य में मदद करता हु। ग्राम पंचायत कचोटिया के विकास के लिए जो काम करवाते हैं उनका पैसा गंगाराम पिता वागजी निवासी कचोटिया के फर्म में जमा होता हैं। करीब 4-5 महिने पहले ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा से राजेश नाम के व्यक्ति का उसके मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे फोन आया और मुझे कहां कि आपके खिलाफ शिकायत आई हैं, आप कल आपकी पंचायत कचोटिया का रिकार्ड लेकर ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा आ जाना, उसके बाद दिपक दमामी निवासी मायंगा थाना सुहागपुरा ने राजेश कानि. ए.सी.बी. बांसवाडा से फोन पर बात की थी। जिस पर मैं, दिपक दमामी व सत्तु (सत्यनारायण) सचिव साहब तीनो मेरी पंचायत का रिकार्ड लेकर ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा जा रहे थे तो रास्ते मे घाटोल जिला बांसवाडा में राजेश कानि. ए.सी.बी. बांसवाडा वाला मिला। जिस पर राजेश कानि. ने मुझे और दिपक को उसकी कार के अन्दर बैठाया उसके बाद राजेश कानि. को मैने पंचायत का रिकार्ड देखने के लिए कहां तो उन्होने पंचायत का रिकार्ड देखने के लिए मना कर दिया और कहां कि पंचायत में तुमने भ्रष्टाचार कर रखा हैं तुम्हारे खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा, फिर उन्होने कहां कि अब क्या करना हैं, तब मैने उनको कहां कि मैं रिकार्ड लेकर आया हु आप देख लो और काम देखना हैं तो पंचायत पर चलो। उसके बाद राजेश कानि. ने मुझे कार से नीचे उतार दिया। उसके बाद दिपक और राजेश कानि. ने आपस में बातचीत करके दिपक मेरे पास आया और मुझे कहां कि राजेश कानि. 10,00,000 (दस लाख रूपये) मांग रहे हैं। फिर मैने व मेरे सचिव साहब सत्तु (सत्यनारायण) ने इतने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो पांच लाख रूपये देना तय हुआ। उसके बाद अगले दिन मैं व सचिव साहब सत्तु तथा दिपक दमामी तीनो 4,00,000 रूपये लेकर घाटोल पहुचे जहां राजेश कानि. ए.सी.बी. बांसवाडा वाला मिला, जिस पर राजेश कानि. की कार में बैठकर मैने स्वयं ने डर के मारे अपने हाथो मे 4,00,000 रूपये दिये थे। बाकी एक लाख रूपये दिपक दमामी तीन दिन बाद मेरे से लेकर राजेश कानि. को दिये थे। मेरे पांच लाख रूपये राजेश से मुझे दिलावें तथा राजेश कानि. व दिपक दमामी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। इसी प्रकार परिवादी श्री सुरजमल पिता उंकार जी मीणा निवासी दतियार जिला प्रतापगढ ने दिनांक 11-12-2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी प्रतापगढ पर उपस्थित हो मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नि श्रीमती अमृत देवी ग्राम पंचायत दतियार की सरपंच हैं। मैं उनकी काम में मदद करता हु। दो महिने पहले कि बात हैं कि मेरे फोन पर राजेश कानि. भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा का फोन आया और कहां कि आपकी पंचायत दतियार का रिकार्ड लेकर ए.सी.बी. ऑफिस बांसवाडा आ जाओं, आपके पंचायत में घोटाला व फर्जीवाडे की शिकायत हैं। फिर मैं दो दिन बाद बांसवाडा ए.सी.बी. ऑफिस गया, वहां पर राजेश कानिस्टेबल साहब ने मुझसे कहां कि 10,00,000 (दस लाख रूपये) दे दो, तुम्हारी शिकायत बन्द करवा दुंगा। उसके दो दिन बाद मैं वापस ए.सी.बी. ऑफिस बांसवाडा गया तो राजेश कानि. ने मुझे कहां कि दिपक दमामी निवासी मांयगा थाना सुहागपुरा को पैसे दे देना, फिर मैने रिक्वेस्ट की तो पांच लाख रूपये दिपक को देना तय हुआ। उसके दो दिन बाद मैने दिपक दमामी के घर पर जाकर राजेश कानि. के कहने पर 5,00,000 रूपये (पांच लाख रूपये) दिपक दमामी को दिये थे। मेरे पांच लाख रूपये वापस मुझे दिलावें तथा राजेश कानि. व दिपक दमामी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। इसी प्रकार परिवादी श्री विकासमल पिता वागुराम निवासी पण्डावा जिला प्रतापगढ ने दिनांक 13-12-2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी प्रतापगढ पर उपस्थित हो मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी माता श्रीमती केसरी बाई ग्राम पंचायत पण्डावा की सरपंच हैं। मैं उनकी कार्य में मदद करता हु। डेढ महिने पहले मेरे फोन पर मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन आया और उसका नाम राजेश कानि. ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा होना बताया और मुझसे कहां कि आपकी पंचायत का पुरा रिकार्ड लेकर बांसवाडा ए.सी.बी. ऑफिस आ जाना तो मैने कहां कि दो दिन बाद आता हु। उसके दो दिन बाद फिर उसी नम्बर से मेरे फोन आया तो मैं मेरे पडौसी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुरजमल के पास गया तो सुरजमल जी ने मुझे कहां कि दिपक दमामी निवासी मांयगा की ए.सी.बी. बांसवाडा मे अच्छी जान पहचान हैं इसलिए दिपक दमामी को साथ

लेकर जाना, फिर मैं दिपक के पास गया और उसको सारी बात बताई तो दिपक ने राजेश कानि. ए.सी.बी. बांसवाडा वाले से फोन पर बात की, उसी समय दिपक ने मुझे कहां था कि प्रतापगढ ए.सी.बी. तो चौकी हैं मुख्य ऑफिस तो बांसवाडा हैं। फिर दिपक मुझे माहीडेम रोड बांसवाडा ले गया वहां राजेश उसकी सफेद कार लेकर आया और राजेश कानि. ने मुझे डराया धमकाया और कहां कि आपको इस शिकायत से बचना हैं तो 10,00,000 (दस लाख रूपये) दो नही तो आपको जेल जाना पडेगा। उसके बाद मैने राजेश कानि. से कहां कि मुझे जेल डालना हो तो डाल दो मैने कोई गलती नही करी हैं। फिर दिपक और राजेश ने आपस में बात करके मुझे लास्ट में पांच लाख रूपये बोला तो मैने राजेश कानि. से हाथा जोडी करके चार लाख रूपये देना तय किया। राजेश कानि. के द्वारा मुझे डराने, धमकाने के कारण डर के मारे मैने दो दिन बाद दिपक दमामी के घर पर जाकर 4,00,000 (चार लाख रूपये) राजेश को देने के लिए दिपक के हाथो से दिये थे। इसी तरह राजेश कानि. ने जीवनलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा के फोन किया तो जीवनलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा ने राजेश कानि. को कहां कि जो करना हैं वो कर देना, उस दिन से फोन आना बन्द हो गया। यह बात मैने दिपक को कही कि जीवनलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा ने तो राजेश कानि. को सामने बोलकर जवाब दिया कि तुम्हारे जो करना हैं वो कर लेना तो जीवनलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा का मामला दब गया और मेरे से पैसे ले लिये, मैं शिकायत करूंगा तो दिपक दमामी ने कहां कि तुम्हारे जो करना हैं वो करो लेकिन प्रतापगढ ए.सी.बी. ऑफिस में मत जाना, प्रतापगढ वाले राजेश कानि. के पास से यह राशि ले लेंगे और आपका मामला दब जायेगा। मेरे 4,00,000 (चार लाख रूपये) वापस मुझे दिलावें तथा राजेश कानि. व दिपक दमामी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री विकासमल (सरपंच प्रतिनिधि) द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ श्री दीपक दमामी (दलाल) से उसके मोबाईल पर दिनांक 13-12-2024 को हुई बात की रिकार्डींग की सी.डी. भी रिपोर्ट के साथ मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की थी। अतः इस सम्बन्ध में परिवादीगणों द्वारा पेश रिपोर्टों में श्री राजेश कानि. नं. 555 भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा, श्री दीपक दमामी (दलाल) पर लगाये गये आरोप गोपनीय जांच में प्रमाणित होने पर श्री राजेश कानि. नं. 555 भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा व श्री दीपक दमामी (दलाल) के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो प्रतापगढ के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 22-01-2025 द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया। पदुपरान्त श्री राजेश कानि. नं. 555 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतू कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो प्रतापगढ के पत्र क्रमांक 413 दिनांक 21-03-2025 द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/संस्थापन/अनु.-11 /2025/1376 दिनांक 28-03-2025 द्वारा श्री राजेश कानि. नं. 555 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा के विरूद्ध प्राथमिक जॉच करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ जिस पर मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ द्वारा प्राथमिक जॉच पूर्ण कर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के पत्र क्रमांक 750 दिनांक 24-05-2025 द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट अ,ब,स,द प्रारूप में तैयार की जाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है- परिवादी श्री राजमल पिता लालूजी जाति मीणा निवासी कचोटिया जिला प्रतापगढ, श्री सुरजमल पिता उंकार जी मीणा निवासी दतियार जिला प्रतापगढ तथा श्री विकासमल पिता वागुराम निवासी पण्डावा जिला प्रतापगढ (तीनों अपनी-अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं) ने ब्यूरो चौकी प्रतापगढ उपस्थित हो मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अलग-अलग हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 11-12-2024 व दिनांक 13-12-2024 को इस बाबत् पेश की कि ब्यूरो चौकी बांसवाडा के राजेश कानि. नं. 555 द्वारा उन्हे उनकी सम्बन्धित पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की बात कर और उसकी जांच का डर दिखाकर क्रमशः 5 लाख, 5 लाख एवं 4 लाख की राशि उनसे राजेश कानि. द्वारा ली गई, इसमें दीपक दमामी निवासी सुहागपुरा जो कि प्राईवेट व्यक्ति हैं ने राजेश कानि. का सहयोग किया हैं। उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो चौकी प्रतापगढ के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 22-01-2025 द्वारा श्री राजेश कानि. एवं दीपक दमामी (दलाल) के विरूद्ध जांच हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को गोपनीय पत्र लिखा गया था। पदुपरान्त श्री राजेश कानि. नं. 555 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतू कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो प्रतापगढ के पत्र क्रमांक 413 दिनांक 21-03-2025 द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्र क्रमांकः-भ्रनिब्यूरो/संस्थापन/अनु.-11/2025/1376 दिनांक 28-03-2025 द्वारा श्री राजेश कानि. नं. 555 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में अंकित आरोपों पर प्राथमिक जांच मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के जिम्मे की गई। जिस पर मन् विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। दौराने जांच परिवादी श्री राजमल पिता लालूजी जाति मीणा निवासी कचोटिया जिला प्रतापगढ़ सरपंच प्रतिनिधि, श्री सुरजमल पिता उंकार जी मीणा निवासी दतियार जिला प्रतापगढ़ सरपंच प्रतिनिधि, श्री विकासमल पिता वागुराम निवासी पण्डावा जिला प्रतापगढ़ सरपंच प्रतिनिधि, श्री जीवनलाल पिता

हुरजी मीणा निवासी लाम्बाडाबरा थाना पीपलखूंट जिला प्रतापगढ सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा, श्री सत्यनारायण मीणा पिता रामचन्द्र जी मीणा निवासी वीरपुर थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कचोटिया हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केसरपुरा पं.स. सुहागपुरा जिला प्रतापगढ, श्री सोहन लाल मीणा पिता रतनलाल जी मीणा निवासी वीरपुरा थाना सालमगढ जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत फतेहगढ, पं.स. अरनोद तत्कालिन कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा पं.स. सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ के बयान लेखबद्ध किये गये। परिवादी श्री विकासमल द्वारा दिनांक 13-12-2024 को पेश शुदा सी.डी. को ब्यूरो हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर सुना गया। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के पत्रांक 526 दिनांक 18-04-2025 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांसवाडा से श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 के सम्बन्ध में रिकॉर्ड प्राप्त कर शामील पत्रावली किया गया। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के पत्रांक 558 दिनांक 23-04-2025 द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर से श्री राजेश कानि. नं. 555 का नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण आदेश तथा सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति एवं सलंग्न परिशिष्ट -"द" प्राप्त कर शामील जांच पत्रावली किया गया। श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 तत्कालिन भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा के खिलाफ प्रतापगढ में दलाल की मदद से सरपंचों को डराकर रूपए लेने वाला ए.सी.बी. का कांस्टेबल निलंबित होने की खबर दैनिक भास्कर में दिनांक 06-05-2025 को तथा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18-04-2025 को प्रकाशित हुई, जिस पर अखबार की कटींग शामील जांच पत्रावली की गई। सारांश बयान श्री सुरजमलः- परिवादी श्री सुरजमल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत दतियार ने अपने बयानों में बताया कि मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल नम्बर [redacted] से राजेश कानिस्टेबल ए.सी.बी. बांसवाडा का फोन आया। राजेश कुमार कानिस्टेबल ने मुझे कहां कि आपकी पंचायत दतियार का रिकार्ड लेकर बांसवाडा ए.सी.बी. ऑफिस आ जाओं। आपकी ग्राम पंचायत के खिलाफ ए.सी.बी. बांसवाडा में शिकायत आई हैं। जिस पर मैने दिपक दमामी निवासी मायंगा थाना सुहागपुरा से सम्पर्क किया तथा मैं व दीपक दोनो मेरी गाडी लेकर ए.सी.बी. ऑफिस बांसवाडा गये जहां राजेश कानिस्टेबल ने मुझे एक कमरे में ले जाकर डराया व धमकाया और कहां कि तुम्हारी पंचायत दतियार में फर्जीवाडे व घोटाले की शिकायत आई हैं तो मैने कहां कि मेरी पंचायत दतियार की शिकायत बताओं तो उन्होने कोई शिकायत नही बताई और मुझे धमकाने लगे और कहां कि तुम्हारी शिकायत को बन्द करवानी हैं तो मुझे 10,00,000 (दस लाख रूपये) देने पडेंगे। जिस पर मैने दस लाख रूपये देने के लिए मना कर दिया तो दीपक व राजेश कानिस्टेबल ने आपस में बात करके मुझे पांच लाख रूपये देने के लिए कहा। राजेश कानिस्टेबल के द्वारा मुझे डराने व धमकाने के कारण एवं राजेश कानिस्टेबल के कहने पर दीपक दमामी के घर पर जाकर दो दिन बाद मैने पांच लाख रूपये दीपक दमामी को दे दिये थे। राजेश कानिस्टेबल ए.सी.बी. बांसवाडा ने मुझे डरा धमका कर मेरे से दीपक दमामी के जरिये पांच लाख रूपये लिये हैं। मैने सुना हैं कि जिला बांसवाडा में भी राजेश कानिस्टेबल ए.सी.बी. ऑफिस बांसवाडा वाले ने सरपंचो को इसी तरह डरा धमकाकर व ए.सी.बी. की कार्यवाही का डर दिखाकर लाखो रूपये ले लिये हैं। दिनांक 13-12-2024 को विकासमल जी सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पण्डावा के मोबाईल नम्बर [redacted] से दीपक दमामी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर विकासमल जी ने बात की थी, जिसकी रिकार्डींग मैने मेरे मोबाईल से की थी। जिसकी एक सी.डी. बनाकर विकासमल जी ने पेश की हैं। श्री विकासमलः- परिवादी श्री विकासमल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पण्डावा ने अपने बयानों में बताया कि मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन आया, उन्होने अपना नाम राजेश जी कानिस्टेबल व ए.सी.बी. बांसवाडा ऑफिस से बात करना बताया। राजेश कुमार जी कानिस्टेबल ने मुझे कहां कि आपके खिलाफ ए.सी.बी. बांसवाडा में शिकायत आई हैं। आप कल आपकी पंचायत का पूरा रिकार्ड लेकर बांसवाडा आ जाना, जिस पर मै मेरे पडौसी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री सुरजमल के पास गया और सारी बात उन्हे बताई तो सुरजमल जी ने बताया कि दिपक दमामी निवासी मायंगा थाना सुहागपुरा का हैं उसकी ए.सी.बी. बांसवाडा में राजेश कुमार कानिस्टेबल से अच्छी जान पहचान व व्यवहार हैं। जिस पर मैं, दिपक दमामी से मिला। दिपक ने वाट्सअप कॉल पर राजेश कानिस्टेबल से बात की थी। उसी दिन दिपक मुझे बांसवाडा माहीडेम रोड पर ले गया, वहां जाकर राजेश कानिस्टेबल उसकी एक सफेद कार लेकर आया और मुझे डराया, धमकाया तथा ग्राम पंचायत के विकास कार्यो में फर्जीवाडे की शिकायत होने का कहकर ए.सी.बी की कार्यवाही का डर दिखाकरं 10,00,000 (दस लाख रूपये) की मांग की थी। जिस डर के कारण राजेश कानिस्टेबल के द्वारा मांगे जाने पर दिपक दमामी के घर पर जाकर नगद चार लाख रूपये दिये थे। मैने दिनांक 13-12-2024 को मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से दीपक दमामी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर बात की थी, जिसकी रिकार्डींग सुरजमल जी सरपंच प्रतिनिधि ग्रांम पंचायत दतियार के मोबाईल से की थी। जिसकी एक सी.डी. बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश की थी। श्री राजमलः- परिवादी श्री राजमल मीणासरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कचोटिया ने अपने बयानों में बताया कि ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा से राजेश कानिस्टेबल नाम मे मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन आया और मुझे कहां कि आपकी ग्राम पंचायत के खिलाफ फर्जीवाडे व घोटाले की शिकायत आई हैं। आप आपकी ग्राम पंचायत कचोटिया का रिकार्ड लेकर बांसवाडा ऑफिस आ जाना। इसी तरह का फोन मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री सत्यनारायण उर्फ सत्तु मीणा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत

कचोटिया के पास भी आया और ग्राम पंचायत का रिकार्ड बांसवाडा ए.सी.बी. ऑफिस मंगवाया। जिस पर मैने मेरे गांव के पास ही रहने वाले दिपक दमामी निवासी मायंगा थाना सुहागपुरा के घर पर जाकर उससे सम्पर्क किया। उसके बाद मैं व दीपक दमामी दोनो गाडी लेकर सुहागपुरा गये वहां पर श्री सत्यनारायण उर्फ सत्तु मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कचोटिया मिले जो की ग्राम पंचायत का रिकार्ड लेकर खडे थे फिर तीनो रिकार्ड लेकर बांसवाडा ए.सी.बी. ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गये। हम तीनो घाटोल से आगे पेट्रोल पम्प के पास होटल के सामने पहुचे जहां सामने से राजेश कानिस्टेबल उसकी सफेद कार ब्रिजा लेकर वहां आ गया। गाडीया साईड में खडी कर राजेश कानिस्टेबल ने सबसे पहले मुझे उसकी कार में बिठाकर ग्राम पंचायत कचोटिया के कामों व बिलो में फर्जीवाडे की बात करते हुए धमकाया, डरायाऔर कहां कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा। मेरे सामने ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण जी को कार में बुलाया और राजेश कानिस्टेबल ने मेरा व सत्यनारायण जी का मोबाईल ले लिया और कहां की आपने ग्राम पंचायत में बहुत फर्जीवाडा कर रखा हैं। जिस पर सत्यनारायण जी ने भी कहां कि हम रिकार्ड लेकर आये हैं आप चेक कर लो और ग्राम पंचायत कचोटिया का काम देखना है तो ग्राम पंचायत में चलो जिस पर राजेश कानिस्टेबल क्रोधित होकर सत्यनारायण जी के साथ गाली गलोच की। उसके बाद दीपक दमामी को कार में बिठाया और दीपक को पुछा की अब क्या करे। थोडी देर बाद मुझे व सत्यनारायण जी को राजेश कानिस्टेबल ने हमे कहां कि मुझे 10,00,000 (दस लाख रूपये) दे दोगे तो तुम्हारी ग्राम पंचायत की शिकायत को यही पर बन्द कर देंगे। जिस पर मैने व सत्यनारायण जी ने पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहां कि आपको रिकॉर्ड देखना हैं तो देखो और काम देखना हैं तो ग्राम पंचायत कचोटिया में आकर देखों। उसके बाद राजेश कानिस्टेबल व दीपक दमामी ने आपस में कुछ देर तक बातचित कर मुझे कहां कि मामला खत्म करना हैं तो पाँच लाख रूपये तो कल ही देने पडेंगे। उसके बाद हम वहां से अपने-अपने घर पर आ गये। मैने व सत्यनारायण जी दोनो ने चार लाख रूपये की व्यवस्था कर दीपक दमामी को बताया। उसके अगले दिन मैं चार लाख रूपये लेकर व दीपक दमामी दोनो कार लेकर घाटोल उसी जगह पर गये जहां पर राजेश कानिस्टेबल भी उसकी कार लेकर आ गया। फिर राजेश कानिस्टेबल ने मुझे उसकी कार में बुलाया जहां पर राजेश कानिस्टेबल के मांगने पर मैने चार लाख रूपये राजेश कानिस्टेबल के हाथो में दीपक दमामी के सामने दिये थे। उसके दो-तीन दिन बाद दीपक ने मेरे सेएक लाख रूपये ओर मांगे और कहां कि राजेश कानिस्टेबल साहब मुझे डाट रहे हैं तुम्हे पैसे की व्यवस्था करनी पडेगी। जिस पर मैने एक लाख रूपये की व्यवस्था कर दो-तीन दिन बाद सुहागपुरा में मुख्य रोड पर जाकर दीपक की बोलेरा गाडी में दीपक को एक लाख रूपये दिये थे। राजेश कानिस्टेबल ए.सी. बी. बांसवाडा ने मुझे डरा धमका कर स्वयं ने चार लाख रूपये व दीपक दमामी के जरिये एक लाख रूपये लिये हैं। श्री सत्यनारायण मीणाः- श्री सत्यनारायण मीणा तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कचोटिया ने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 22-08-2024 को मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर एक मोबाईल नम्बर से राजेश कानिस्टेबल ए. सी.बी. कार्यालय बांसवाडा का फोन आया और कहां कि ग्राम पंचायत कचोटिया के कार्यकाल के दौरान आपकी ग्राम पंचायत कचोटिया में फर्जीवाडे व घोटाले की शिकायत आई हैं। आप आपकी ग्राम पंचायत कचोटिया का रिकार्ड लेकर बांसवाडा ऑफिस आ जाना। मैने राजेश कानिस्टेबल से फोन पर ही पुछा की ग्राम पंचायत कचोटिया में फर्जीवाडे व घोटाले की शिकायत किसने की तो उन्होने बताया कि गंगाराम मीणा ने की हैं। दिनांक 23-08-2024 को मेरी मोटरसाईकिल लेकर सुहागपुरा गया, जहां पर राजमल जी व दिपक दमामी मुझे मिले। सुहागपुरा से मै, राजमल जी उनकी ग्राम पंचायत का रिकार्ड लेकर व दिपक तीनो दिपक की बोलेरो से बांसवाडा जाने के लिए निकले की रास्ते में दिपक के मोबाईल पर राजेश कानिस्टेबल का फोन आया और कहां कि तुम घाटोल पहुंचो मैं घाटोल आ रहा हु। थोडी देर बाद हम तीनो घाटोल पहुचे जहां पर राजेश उसकी सफेद कलर की कार लेकर आ गया। घाटोल में पेट्रोल पम्प के पास रोड पर गाडीया साईड में खडी कर राजेश कानिस्टेबल ने दिपक को उसकी कार में बुलाकर दिपक से बात की उसके बाद राजमल जी को बुलाकर लगभग 20-25 मिनट तक बात की थी उसके बाद मुझे राजेश कानिस्टेबल ने अपनी कार में बिठाकर सबसे पहले मेरा मोबाईल ले लिया उसके बाद मेरे को कहां कि ग्राम पंचायत कचोटिया में आपके कार्यकाल के दौरान किये गये विकास के कामों व बिलो में फर्जीवाडे होने की गंगाराम ने शिकायत की हैं। जिस पर मैने कहां कि आप रिकार्ड देख लो तो राजेश कानिस्टेबल ने रिकार्ड नही देखा और कहां कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा। उसके बाद राजेश कानिस्टेबल ने ग्राम पंचायत कचोटिया का रिकार्ड नही देखा, उसके बाद राजेश कानिस्टेबल ने मेरे से दिपक दमामी को 10 लाख रूपये लेने के लिए कहां तो मैने रूपये देने के लिए मना कर दिया जिस पर राजेश कानिस्टेबल आवेशित होकर मुझे कहने लगा की तुम ए.सी.बी. को जानते नही हो। उसके बाद राजेश कानिस्टेबल व दीपक ने आपस में बात की थी उसके कुछ देर बाद मुझे व राजमल जी को राजेश कानिस्टेबल के कहने पर दिपक दमामी ने हमे कहां कि मुझे 10,00,000 (दस लाख रूपये) दे दोगे तो राजेश जी आपकी ग्राम पंचायत कचोटिया की शिकायत को यही पर बन्द कर देंगे। जिस पर मैने व राजमल जी ने पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहां कि आपको रिकॉर्ड देखना हैं तो देखो और काम देखना हैं तो ग्राम पंचायत कचोटिया में आकर देखों। उसके बाद राजेश कानिस्टेबल व दीपक दमामी ने आपस में कुछ देर तक बातचित कर कहां कि मामला खत्म करना हैं तो पांच लाख रूपये तो कल ही देने पडेंगे। उसके बाद हम वहां से अपने-अपने घर पर आ गये। मैने व राजमल जी दोनो ने चार लाख रूपये की व्यवस्था कर दीपक दमामी को बताया। उसके अगले दिन दिनांक 24-08-2024 को मैं, राजमल जी व दिपक

तीनो चार लाख रूपये लेकर गाडी से घाटोल उसी जगह पर गये जहां पर राजेश कानिस्टेबल भी उसकी सफेद कार लेकर आ गया। फिर राजेश कानिस्टेबल ने दिपक दमामी से बात कर राजमल जी को उसकी कार में बुलाया जहां पर राजेश कानिस्टेबल के मांगने पर राजमल जी ने चार लाख रूपये राजेश कानिस्टेबल के हाथो में दीपक दमामी के सामने दिये थे। उसके दो-तीन दिन बाद दीपक ने राजमल जी से एक लाख रूपये ओर मांगे और कहां कि राजेश कानिस्टेबल साहब मुझे डाट रहे हैं तुम्हे पैसे की व्यवस्था करनी पडेगी। जिस पर मैने व राजमल जी ने एक लाख रूपये की व्यवस्था कर दो-तीन दिन बाद सुहागपुरा में मुख्य रोड पर जाकर दीपक की बोलेरा गाडी में दीपक को एक लाख रूपये दिये थे। राजेश कानिस्टेबल ए.सी. बी. बांसवाडा ने मुझे व राजमल जी को डरा धमका कर स्वयं ने चार लाख रूपये व दीपक दमामी के जरिये एक लाख रूपये लिये हैं। राजेश कानिस्टेबल से पांच लाख रूपये वापस दिलावें तथा दीपक दमामी व राजेश कानिस्टेबल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करावें। श्री जीवनलालः- श्री जीवनलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा ने अपने बयानों में बताया कि मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल नम्बर [redacted] व एक अन्य मोबाईल नम्बर जो मुझे अभी याद नही हैं लेकिन मेरे फोन आया था से राजेश नाम के व्यक्ति जिसने अपने आप को ए.सी.बी. बांसवाडा में नोकरी करना बताकर चार-पंाच बार फोन किया और मुझे कहां कि मैं ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा से बोल रहा हुं, आपकी ग्राम पंचायत के विकास कार्यो में भ्रष्टाचार व रिकार्ड की हेराफेरी की शिकायत हमारे पास आई हैं और मुझे कहां कि आप आपकी ग्राम पंचायत का रिकार्ड लेकर ए.सी.बी. ऑफिस बांसवाडा आ जाओं। जिस पर मैने कहां कि मेरी ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा में मेरे द्वारा कोई भ्रष्टाचार नही किया गया हैं और ना हि रिकार्ड में हेराफेरी की हैं, फिर भी आपको रिकार्ड चेक करना हैं तो आप ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा आ जाओं, मैं आपको ग्राम पंचायत का रिकार्ड भी बता दुंगा और काम भी चैक करा दुंगा। मैं ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा का रिकार्ड ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा नही लाउंगा। जिस पर राजेश नाम के व्यक्ति ने मुझे कहां की ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नही हैं और कहां कि ए.सी.बी. की कार्यवाही तुम्हारी ग्राम पंचायत पर हो गई तो जिन्दगी भर जेल में सड जाओगें, जमानत करवाने वाला कोई नही मिलेगा। जिस पर मैने कहां कि आपको जो करना हैं वो कर लो, मैं मेरी ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा का रिकार्ड लेकर नही आउंगा। फिर बाद में राजेश ने कहां कि आप बांसवाडा आ जाओं यहां बैठकर आपके खिलाफ प्राप्त हुई शिकायत में समझौता कर लेंगे तो मैने ए.सी.बी. ऑफिस बांसवाडा जाने के लिए मना कर दिया। श्री सोहनलालः- श्री सोहनलाल मीणा तत्कालिन कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा पं.स. सुहागपुरा ने अपने बयानों में बताया कि मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर ग्राम पंचायत सरपंच साहब जीवनलाल जी का फोन आया और मुझे बताया कि कोई व्यक्ति ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा का होना बताकर ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा में आपके कार्यकाल के दौरान किये गये विकास कार्यो में फर्जीवाडे व घोटाले की शिकायत होना बता कर पैसो की मांग कर रहा हैं और ग्राम पंचायत का रिकार्ड मांग रहा है। जिस पर मैने सरपंच साहब जीवन लाल जी को कहां कि अगर कोई शिकायत आई होगी तो बीडीओ साहब का लेटर आ जायेगा, आप किसी को पैसे मत देना। उसके बाद आज से करीबन 02-03 महिने पहले मुझे सत्यनारायण मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केसरपुरा पं.स. सुहागपुरा ने बताया कि मेरे सरपंच प्रतिनिधि साहब राजमल जी ग्राम पंचायत कचोटिया के फोन पर भी ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा के कर्मचारी का फोन आया और ग्राम पंचायत का रिकार्ड मांग रहा था जिस पर मैं व सरपंच प्रतिनिधि दोनो रिकार्ड लेकर गये तो ए.सी.बी. वाले ने ग्राम पंचायत का रिकार्ड नही देखा और पैसे मांगे, जिस पर मैने व सरपंच प्रतिनिधि राजमल जी ने घाटोल जाकर पैसे दिये। उक्त सभी बाते मुझे सत्यनारायण मीणा ग्राम विकास अधिकारी व जीवनलाल जी सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा ने बताई थी । इस बात को लेकर मैने उसी समय मेरे तत्कालिन सरपंच जीवनलाल जी को कहां था कि आपके पास किसी ए.सी.बी. वाले का फोन आवे तो फोन मत उठाना और पैसे मत देना और मैने कहां कि ग्राम पंचायत का रिकार्ड देना होगा तो सी.ओ. साहब या बी.डी.ओ. साहब का लेटर आ जायेगा तो रिकार्ड दिखा देंगे। फोन करने वाले उस व्यक्ति का नाम अब मुझे सत्यनारायण जी ने बताया कि राजेश कानिस्टेबल हैं जो वर्तमान में ए.सी.बी. बांसवाडा में नोकरी करता हैं तथा दिपक दमामी को मै व्यक्तिगत रूप से नही जानता हुं परन्तु उसका नाम मैने सुना हैं कि दिपक दमामी निवासी मोटा मांयगा थाना सुहागपुरा का रहने वाला हैं। परिवादी श्री विकासमल द्वारा दिनांक 13-12-2024 को पेश शुदा सी.डी. को ब्यूरो हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर सुना गया तो सी.डी. में दलाल दिपक दमामी स्वीकार कर रहा हैं कि उसने विकासमल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पण्डावा से 04 लाख रूपये लिये थे और बाद में कानि. राजेश स्वयं पैसे लेने आया तो उसको दिये, साथ ही ग्राम पंचायत कचोटिया के सरपंच प्रतिनिधि श्री राजमल के लिये भी कह रहा हैं कि राजू ने सीधे कानि. राजेश को 05 लाख रूपये दिये थे उस समय कानि. राजेश स्वयं पैसे लेने घाटोल आया था। दलाल दिपक दमामी एवं ग्राम पंचायत पण्डावा के सरपंच प्रतिनिधि श्री विकासमल की दिनांक 13-12-2024 को बातचीत की इस सी.डी. में जब विकासमल कहता हैं कि मैने राजेश से पूछा कि मेरी ग्राम पंचायत की क्या शिकायत हैं ये तो बताओ तो कानि. राजेश ने शिकायत के बारे में कोई जानकारी नही दी, वार्ता में दलाल दिपक दमामी भी यह बात स्वीकार कर रहा हैं। इससे भी स्पष्ट हैं कि कानि. राजेश झूठी शिकायत का डर दिखाकर सरपंच प्रतिनिधियों से मोटी राशि वसूल कर रहा था। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के पत्रांक 526 दिनांक 18-04-2025 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा से दस्तावेज एवं सूचना चाही गयी, जिस पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 383 दिनांक 21-04-2025 से अवगत कराया कि श्री गंगाराम पिता वागजी मीणा निवासी कचोटिया ने ब्यूरो चौकी बांसवाडा पर कोई शिकायत नहीं दी हैं एवं ना ही ब्यूरो के उच्चाधिकारीयों द्वारा श्री गंगाराम पिता वागजी मीणा द्वारा की गई कोई शिकायत ब्यूरो चौकी पर प्राप्त हुई हैं। जबकि ग्राम विकास अधिकारी श्री सत्यनारायण के कथनानुसार राजेश कानि. ने दिनांक 23-08-2024 को घाटोल में उसकी कार में बिठाकर उसे धमकाया था कि तुम जानते नही हो ए.सी.बी. क्या चीज हैं। उपरोक्त पत्र से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 23 एवं 24 अगस्त 2024 की रोजनामचा आम की रपट में कानि. राजेश चौकी बांसवाडा पर ही मौजुद था जबकि श्री सत्यनारायण एवं राजमल के बयानो के आधार पर कानि. राजेश द्वारा ग्राम पंचायत कचोटिया का रिकॉर्ड लेकर बांसवाडा बुलाना तथा दिपक दमामी से जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार घाटोल में मिलना तथा अगले दिन रूपये प्राप्त करनाजो कि श्री सत्यनारायण ग्राम विकास अधिकारी के कथनों की पुष्टि करता हैं कि मैं, राजमल एवं दिपक तीनो घाटोल पहुंचे वहां घाटोल पेट्रोल पम्प के पास रोड पर गाडीया खडी की थी वहीं राजेश कानि. ने अपनी कार में बिठाकर राजमल जी से 20-25 मिनट बात की, बाद में मुझे बुलाकर मुझसे भी कार में बिठाकर बात करके बताया कि ग्राम पंचायत के कामकाज एवं विकास कार्यो के बिलों में फर्जीवाडे होने की गंगाराम ने शिकायत की हैं। श्री राजेश कानि. 555 के मोबाईल नम्बर [redacted] व मोबाईल नम्बर [redacted] की दिनांक 01-09-2024 से दिनांक 31-01-2025 तक एवं श्री सत्यनारायण मीणा तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कचोटिया के मोबाईल नम्बर [redacted] की दिनांक 22, 23 एवं 24-08-2024 की कॉल डिटेलव उपभोक्ता विवरण (केफ) सम्बन्धित कम्पनी से प्राप्त कर कॉल डिटेल व टॉवर लॉकेशन का विश्लेषण किया गया जो निम्नानुसार हैं- 01- श्री राजेश कुमार कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] की सिम को स्वयं द्वारा ई-केवाईसी. करा दिनांक 21-04-2017 को खरीदना उपभोक्ता विवरण (केफ) के अनुसार पाया गया हैं। 02- श्री सत्यनारायण मीणा द्वारा मोबाईल नम्बर [redacted] को अपने मूल निवास प्रमाण-पत्र पर खरीदना उपभोक्ता विवरण (केफ) के अनुसार पाया गया हैं। 03- श्री राजेश कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] द्वारा श्री सत्यनारायण मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 22-08-2024 को समय 12.21.45 पर कुल 123 सेकण्ड कॉल करना पाया गया हैं जो कि सत्यनारायण के बयानो की पुष्टि करता हैं। जिसमें कानि. राजेश ने ग्राम पंचायत कचोटिया का रिकार्ड लेकर बांसवाडा ए. सी.बी. ऑफिस में आने के लिए बताया। 04- श्री राजेश कानि. 555 के मोबाईल नम्बर [redacted] व मोबाईल नम्बर [redacted] की दिनांक 01-06-2024 से दिनांक 30-08-2024 तक की सी.डी.आर. में राजेश कानि. की सरपंच प्रतिनिधियों से वार्ता होने के सम्बन्ध में कॉल डिटेल व लॉकेशन प्राप्त होना शेष हैं। 05- दिनांक 13-12-2024 को विकसमल सरपंच प्रतिनिधि ग्रा. पं. पण्डावा के मोबाईल नम्बर [redacted] से कानि. राजेश के दलाल दिपक दमामी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता जिसे सूरजमल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत दतियार ने अपने मोबाईल में रिकॉर्ड किया और विकासमल ने उसकी सी.डी. बनाकर पेश की। इस वार्ता की दोनो की सी.डी.आर. प्राप्त होना शेष हैं। प्राथमिक जांच के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 तत्कालिन भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा का स्पष्टीकरण चाहने बाबत इस कार्यालय के पत्रांक 660-61 दिनांक 13-05-2025 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा भेजकर सर्व करवाया जिस पर दिनांक 14-05-2025 को पंकज कानि. ए.सी.बी. बांसवाडा द्वारा कानि. राजेश के बांसवाडा स्थित निवास पर ताला लगा हो कोई नही मिलना पृष्ठांकित कर भिजवाया गया। इसके बाद इस कार्यालय पत्रांक 671-73 दिनांक 15-05-2025 मय विशेष वाहक श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. ए.सी.बी. प्रतापगढ को कानि. राजेश का प्राथमिक जांच में स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतू बांसवाडा भेजा गया, जिस पर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि., श्री राजेश कानि. के बांसवाडा स्थित घर पर गया जहां राजेश कानि. की पत्नि ने बताया कि मेरे ससुर जी की रीढ की हडडी में चोट लगी हैं राजेश कानि. उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल गये है, राजेश कानि. कल दिनांक 16-05-2025 को मिलेंगे। जिस पर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. ने दिनांक 16-05-2025 को राजेश कानि. 555 ने उपरोक्त पत्र प्राप्त किया एवं स्वयं हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र इस बाबत कि मेरे विरूद्ध किस सम्बन्ध में प्राथमिक जांच की जा रही हैं अवगत करावें, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. को प्राप्ति रसीद के साथ दिया। जिमे शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 16-05-2025 को इस कार्यालय के पत्रांक 686-88 दिनांक 16-05-2025 द्वारा श्री राजेश कानि. को लिखा गया कि वह इस पत्र की प्राप्ति के बाद किसी भी 03 कार्य दिवस में कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ पर स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज देख सकता हैं कि उस पर किन आरोपो के सन्दर्भ में जांच की जा रही हैं। यह पत्र श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. लेकर श्री राजेश कुमार कानि. के घर दिनांक 17-05-2025 को गया तो राजेश कानि. की पत्नि मिली जिस पर राजेश कानि. की पत्नि द्वारा श्री राजेश कुमार कानि. को गांव जाना बताया तथा सोमवार दिनांक 19-05-2025 को मिलना बताया, इसके बाद यह पत्र श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. ने दिनांक 19-05-2025 को कानि. श्री राजेश कानि. को सर्व करवाया। श्री राजेश कानि. ने पत्र प्राप्ति रसीद के साथ पुनः एक हस्तलिखित पत्र श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. के साथ भिजवाया जिसमें उसने लिखा कि मेडिकल बोड द्वारा मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी गई हैं। श्री राजेश कानि. स्वयं को बेड रेस्ट में होना बता रहा है लेकिन चौकी प्रतापगढ के श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ को बताया कि जब मैं दिनांक 15-05-2025 को कानि. राजेश के बांसवाडा स्थित निवास पहुचां तो कानि. राजेश की पत्नि उन्हे मिली एवं कहां

कि वे अपने पिताजी के रीढ की हड्डी में चोट लगने से ईलाज करवाने हेतु डॉक्टर को दिखाने गये हैं, आपको कल मिलेंगे। इसी प्रकार जब दिनांक 16-05-2025 को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. इस कार्यालय के पत्रांक 686-88 दिनांक 16-05-2025 लेकर कानि. के बांसवाडा स्थित निवास पहुचे तब भी वह स्वयं नही मिला एवं उनकी पत्नि मिली जिन्होने श्री गणेश कानि. को बताया कि श्री राजेश कानि. उनके पिताजी को ईलाज हेतु हॉस्पिटल लेकर गये हैं। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. ने प्राप्ति रसीद एवं कानि. राजेश का पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि सर, राजेश कानि. पूर्णतः स्वस्थ्य लग रहा था और बेड रेस्ट पर नही हैं। इस सम्बन्ध में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. ने दिनांक 16-05-2025 एवं दिनांक 19-05-2025 को बाद तामिल अपनी वापसी पर रोजनामचा आम में विस्तृत रपट अंकित की हैं। इससे स्पष्ट हैं कि कानि. राजेश प्राथमिक जांच में अपना स्पष्टीकरण पेश करने में टालमटोली कर रहा हैं, जबकि उसे पर्याप्त अवसर दिया गया हैं। श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 तत्कालिन भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा द्वारा सरपंच प्रतिनिधियों से डरा धमकाकर राशि लेने के बारे में बांसवाडा के समाचार पत्रों में दिनांक 18-04-2025 एवं प्रतापगढ के समाचार पत्रों में दिनांक 06-05-2025 को समाचार भी प्रकाशित हुए तथा स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप में भी कानि. राजेश द्वारा की गई वसूली की खबरे वायरल हुई थी, जिससे विभाग की छवि को धक्का लगा हैं एवं ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में आमजन में शंका का भाव उत्पन्न करता हैं। गोपनीय सूचना से कानि. राजेश के सम्बन्ध में यह भी ज्ञात आया हैं कि कानि. ने अपनी पत्नि के नाम से सेफ शॉप नाम की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कम्पनी में आई.डी. बना रखी हैं, इसमें जुडने के लिये कानि. राजेश प्रतापगढ, बांसवाडा जिले में पुलिस एवं अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को ए.सी.बी. की कार्यवाही का भय दिखाकर जबरदस्ती सदस्यता दिलाता हैं। इससे लोकसेवकों के मन में ए.सी.बी. के प्रति घृणा एवं शंका उत्पन्न होती हैं। सम्पूर्ण जांच, बयान परिवादीगण, गवाहान, प्राप्त दस्तावेजो, सी.डी., विभिन्न मोबाईल नम्बरों की फर्द विश्लेषण कॉल डिटेल, टॉवर लॉकेशन व उपभोक्ता विवरण (केफ), धारा 63(4)(C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रमाण पत्र के आधार पर अपचारी श्री राजेश कुमार तत्कालिन कानि. नं. 555 कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा हाल निलम्बित प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के विरूद्ध निम्न निष्कर्ष एवं आरोप प्रमाणित पाये गये- 01- श्री राजेश कानि. नं. 555 तत्कालिन भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा द्वारा श्री राजमल, सुरजमल, विकासमल तीनों सरपंच प्रतिनिधियों तथा श्री सत्यनारायण मीणा तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कचोटिया को इनके ग्राम पंचायत के कार्यो में भ्रष्टाचार तथा फर्जीवाडे की ए.सी.बी. चौकी बांसवाडा में शिकायत होना बताकर उस पर कार्यवाही का भय दिखाकर तीनो सरपंच प्रतिनिधियों से क्रमशः 05, 05 एवं 04 लाख रूपये अवैध राशि वसूल की हैं। इसके लिए कानि. राजेश ने ग्राम पंचायत कचोटिया के ग्राम विकास अधिकारी श्री सत्यनारायण को जरीये मोबाईल सम्पर्क कर बिना किसी अधिकारिता के ग्राम पंचायत कचोटिया का रिकॉर्ड ए.सी.बी. ब्यूरो बांसवाडा में मंगवाया, फिर अपने दलाल दिपक दमामी के जरीये उन्हे घाटोल कस्बे में व्यक्तिगत मिला एवं राशि प्राप्त करना प्रमाणित हैं। 02- श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 ने तीनो सरपंच प्रतिनिधियों को ए.सी.बी. की कार्यवाही का भय दिखाकर अपने दलाल के मार्फत जो मोटी राशि वसूल की हैं उसके सम्बन्ध में स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुपों में तथा समाचार पत्रों में खबरे छपने से कानि. राजेश की वजह से विभाग की छवि आमजन में धूमिल हुई हैं। सम्पूर्ण प्राथमिक जांच में श्री राजेश कुमार तत्कालिन कानि. नं. 555 कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा हाल निलम्बित प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर पर आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। श्री राजेश कुमार कानि. 555 का आचरण ए.सी.बी. के उच्च मापदण्डो के अनुरूप नही हैं, साथ ही आपराधिक कृत्य भी हैं। उक्त प्राथमिक जॉच रिपोर्ट पूर्ण कर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के पत्र क्रमांक 750 दिनांक 24-05-2025 द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्राथमिक जांच रिपोर्ट अ,ब,स,द प्रारूप में प्रेषित की गई। जिस पर कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक- भ्रनिब्यूरो/अशा/03/25/8234-35 दिनांक 13-06-2025 द्वारा परीक्षणोपरान्त आरोपी श्री राजेश कुमार तत्कालिन कानि. नं. 555 कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा व श्री दीपक दमामी (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध एफ.आई.आर. पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री राजेश कुमार पिता श्री रंगजी निनामा जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी रामोर पोस्ट सुरपुर थाना सदर बांसवाडा जिला बांसवाडा तत्कालिन कानि. नं. 555 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा हाल निलम्बित प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर एवं श्री दिपक दमामी पिता नानूराम ढोली जाति ढोली उम्र 33 वर्ष निवासी मोटा मायंगा थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ राज. के विरूद्ध धारा 7,11,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट मे जुर्म अर्न्तगत धारा 7,11,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री राजेश कुमार पिता श्री रंगजी निनामा जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी

रामोर पोस्ट सुरपुर थाना सदर बांसवाडा जिला बांसवाडा तत्कालिन कानि. नं. 555 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा हाल निलम्बित प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर एवं 2-श्री दीपक दमामी पिता नानूराम ढोली जाति ढोली उम्र 33 वर्ष निवासी मोटा मायंगा थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अन्नत कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 260 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1041-45 दिनांक 14-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।4- पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ़ 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANANT KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/07/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				
2	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)